



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22032022-234344
CG-DL-E-22032022-234344

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1177]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 21, 2022/फाल्गुन 30, 1943

No. 1177]

NEW DELHI, MONDAY, MARCH 21, 2022/PHALGUNA 30, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 मार्च, 2022

का.आ. 1217(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि लोक प्रयोजन के लिए तेलंगाना राज्य के यदाद्री भुवनगिरि जिले के NH-930P हैदराबाद ओआरआर [गौरेली पर इंटरचेंज. (वेलिगोंडा-थोरूर-नेल्लीकुदुर-महबूबाबाद-येलन्दु-कोथागुडेम जंक्शन पर)] के कि.मी. 39.180 से कि.मी. 49.900 तथा कि.मी. 51.200 से कि.मी. 56.400 तक (रेवेन्यू डिविशनल ऑफिसर, चौटुप्पल) वेलिगोंडा-थोरूर खंड के पेव्ड शोल्डर सहित 2/4 लेन में चौड़ीकरण के साथ पुनर्वास और उन्नयन, रखरखाव, प्रबंधन और संचालन हेतु यह भूमि अपेक्षित है, जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् रेवेन्यू डिविशनल ऑफिसर, चौदुप्पल को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितवद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

तेलंगाना राज्य के यदाद्री भुवनगिरि जिले में NH-930P के कि.मी. 39.180 से कि.मी. 49.900 तथा कि.मी. 51.200 से कि.मी. 56.400 (आरडीओ चौदुप्पल) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: तेलंगाना		जिले का नाम: यदाद्री भुवनगिरि			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
तालुक का नाम: वालीगोंडा					
गांव का नाम: अरूरु					
1	715	निजी(पट्टा)	सूखा(कृषि भूमि)	1,163.4707000(वर्ग मीटर)	0.1163470
2	717	निजी(पट्टा)	सूखा(कृषि भूमि)	1,745.2068000(वर्ग मीटर)	0.1745210
3	735	निजी(पट्टा)	सूखा(कृषि भूमि)	2,326.9414000(वर्ग मीटर)	0.2326940
4	876	निजी(पट्टा)	सूखा(गैर कृषि भूमि)	101.1714000(वर्ग मीटर)	0.0101171
5	883	निजी(पट्टा)	सूखा(कृषि भूमि)	708.2000000(वर्ग मीटर)	0.0708200
6	886	निजी(पट्टा)	सूखा(कृषि भूमि)	379.3930000(वर्ग मीटर)	0.0379393
गांव का नाम: वालीगोंडा					
1	56	निजी(पट्टा)	सूखा(गैर कृषि भूमि)	396.3242000(वर्ग मीटर)	0.0396324
2	60	निजी(पट्टा)	सूखा(गैर कृषि भूमि)	14.2142000(वर्ग मीटर)	0.0014214
कुल				6,834.9217	0.6835

[फा. सं. 589/DPR/Gowrelly-Valigonda/DCE/EE/DEE1/AEE1/NH/2017/1/3A3]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st March, 2022

S.O. 1217(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for Rehabilitation and upgradation, by widening to two-lane with paved shoulder/four laning, etc.), maintenance, management, and operation of Valigonda Thorur section from Km. 39.180 to Km. 49.900 & 51.200 to Km. 56.400 of NH-930P [Junction at Hyderabad ORR (Interchange at Gowrelly) Valigonda-Thorur-Nellikuduru-Mahabubad-Yellandu-Kothagudem Junction at NH-930P] under Revenue Divisional Officer, Choutuppal in the district of YADADRI BHUVANAGIRI in the state of TELANGANA, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, Revenue Divisional Officer, Choutuppal in writing and shall set out the grounds thereof, and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling NH-930P in the stretch of land from Km. 39.180 to Km. 49.900 & 51.200 to Km. 56.400 (RDO Choutuppal) in the district of YADADRI BHUVANAGIRI in the state of TELANGANA.

State: TELANGANA		District: YADADRI BHUVANAGIRI			
SL. No.	Survey / Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectare)
Taluk: Valigonda					
Village: Arruru					
1	715	Private(patta)	Dry(Agriculture land)	1,163.4707000(Square Meter)	0.1163470
2	717	Private(Patta)	Dry(Agriculture land)	1,745.2068000(Square Meter)	0.1745210
3	735	Private(patta)	Dry(Agriculture land)	2,326.9414000(Square Meter)	0.2326940
4	876	Private(patta)	Dry(Non Agricultural land)	101.1714000(Square Meter)	0.0101171
5	883	Private(patta)	Dry(Agriculture land)	708.2000000(Square Meter)	0.0708200
6	886	Private(patta)	Dry(Agriculture land)	379.3930000(Square Meter)	0.0379393

Village: Valigonda					
1	56	Private(Patta)	Dry(Non Agricultural land)	396.3242000(Square Meter)	0.0396324
2	60	Private(Patta)	Dry(Non Agricultural land)	14.2142000(Square Meter)	0.0014214
Total				6,834.9217	0.6835

[F. No. 589/DPR/Gowrelly-Valigonda/DCE/EE/DEE1/AEE1/NH/2017/1/3A3]

RAJESH GUPTA, Director